



LABOUR DEPARTMENT / श्रम विभाग

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

**LABOUR DEPARTMENT HARYANA**  
**श्रम विभाग हरियाणा**Off.: 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17-B, Chandigarh-16001 (India) Tel: 91(0172)2701337 Fax: 91(0172)2701266  
ऑफिस: 30 बेज बिल्डिंग, प्रथम तल, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) दूरभाष: 91(0172)2701337 फॉक्स: 91(0172)2701266**ORDER**

Sh. Jagbir Singh, Labour Inspector, Circle-IV, Faridabad O/o Assistant Labour Commissioner, Circle-II, Faridabad is hereby placed under suspension under rule 5 of the HCS (Punishment & Appeal) Rules, 2016 with immediate effect.

2 During Suspension period his Head Quarter is fixed in the O/o Assistant Labour Commissioner, Circle-I, Yamuna Nagar. He will not leave the headquarter without the prior permission of the competent authority. He will be paid subsistence allowance as per Rules.

Dated: 30.03.2018

Vijay Singh Dahiya  
Labour Commissioner, Haryana  
dated- 06/4/2018

Endst 02/3018/19891-30

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:

- 1 Deputy Labour Commissioner, Faridabad
- 2 Assistant Labour Commissioner, Circle-II, Faridabad and Yamuna Nagar-I
- 3 Welfare Officer (Women), Faridabad
- 4 Treasury Officer, Faridabad and Yamuna Nagar.
- 5 Sh. Jagbir Singh, Labour Inspector, Circle-IV, Faridabad.
- 6 I.T. Cell.
- 7 Office order file
- 8 Personal file.

Mjs  
Addl. Labour Commissioner (Admn)  
for Labour Commissioner, Haryana,

तुरन्त/रजि०  
बिना किसी देरी के

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में

उप श्रम आयुक्त,  
फरीदाबाद।

क्रमांक :-स्था०/०२/२०१८/ १२४३१

दिनांक :- ६-५-१८

विषय:-

श्री जगबीर सिंह, श्रम निरीक्षक सर्कल-४, फरीदाबाद के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बंध में सूचित किया जाता है कि श्रीमति चन्द्र कान्ता द्वारा श्री जगबीर सिंह, श्रम निरीक्षक, सर्कल-४, फरीदाबाद के विरुद्ध दी गई सैक्शुयल हरासमैन्ट के मामले में कमेटी द्वारा आपके माध्यम से भेजी गई जांच रिपोर्ट के मध्यनजर कर्मचारी को दोषी मानते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जगबीर सिंह, श्रम निरीक्षक के विरुद्ध तुरन्त एफ०आई०आर० दर्ज करवायें तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करवायें।

संलग्न/सम्बन्धित दस्तावेज।

*Mij*  
अति० श्रम आयुक्त (प्रशा०)  
कृते: श्रम आयुक्त हरियाणा।  
*R*

सेवा में

श्रीमान मुख्यमंत्री जी,

सी०एम० विन्डो फरीदाबाद।

विषय :- श्रम निरीक्षक सर्कल -6 जगबीर सिंह द्वारा बदतमीजी करने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थीया चन्द्रकान्ता पत्नी स्व० श्री देविन्द्र कुमार निवासी म०न० 2664 गली न० 3 जबवाहर कालौनी एन आई टी फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। यह कि दिनांक 18-5-2016 समय 4.30 बजे सांय श्रम निरीक्षक सर्कल -6 फरीदाबाद जगबीर सिंह ने शराब पीकर मेरे कार्यालय कल्याण अधिकारी फरीदाबाद मे आया और मेरा हाथ पकडा और मेरे साथ बदतमीजी की और आफिस में रुककर मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया , जिसकी रिपोर्ट मैंने कल्याण अधिकारी महिला फरीदाबाद को दी जिस पर उन्होने अपनी रिपोर्ट बनाकर उपश्रम आयुक्त फरीदाबाद को भेजी ,जिसका डायरी न० 162 दिनांक 20-5-2016 है। इसके बाद उपश्रम आयुक्त फरीदाबाद ने अपनी जांच कमैटी बिठाई परेशान करने व रास्ता रोककर हाथ पकडने बाबत हुई तथा उपश्रम आयुक्त फरीदाबाद ने जांच करके यह रिपोर्ट श्रम आयुक्त हरियाणा को भेजी जिसका डायरी न० 4032 दिनांक 26-5-2016 को भेजी गई ,इसके बाद काफी समय तक कोई कार्यवाही नहीं की तब पीडिता ने उपश्रम आयुक्त फरीदाबाद से जानकारी ली तो उपश्रम आयुक्त फरीदाबाद ने बताया कि हमने कार्यवाही करके श्रम आयुक्त हरियाणा को रिपोर्ट भेज दी है हमारी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होगी आप श्रम आयुक्त हरियाणा को कार्यवाही के लिये स्वयं लिखित में प्रार्थना पत्र दे , जो कि मैंने दिनांक 30-08-2016 शिकायत भेजा किन्तु मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

महोदय, मैं एक विधवा औरत हूँ जो कि मैं कल्याण महिला अधिकारी फरीदाबाद मे ठेके पर कार्यरत थी जो कि मैं नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर कर ही थी। परन्तु उप श्रम आयुक्त फरीदाबाद ने मुझे

-2-

नौकरी पर से भी हटा दिया मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की परन्तु उन्होने मुझे रखने से मना कर दिया है।


अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाये।

आपकी अति कृपा होगी।

संलग्न -

- 1-कापी जांच रिपोर्ट
- 2- कापी महिला कल्याण अधिकारी फरीदाबाद
- 3- कापी उपश्रम आयुक्त फरीदाबाद
- 4- कापी श्रम आयुक्त हरियाणा

प्रार्थीया



चन्द्रकान्ता पत्नी स्व० श्री देविन्द्र कुमार  
निवासी म०न० 2664 गली न० 3 जवाहर  
कालौनी, एन आई टी फरीदाबाद

मो० 9654898761

दिनांक 30-08-2017

कल्याण आर्चीवारी (मठ)  
करीबाबाय.

19/5/16

संज्ञा

साधितय निवेदन यह है कि आज दिनांक 18/5/16  
समय 4-30 बजे सायं श्री जगधीर सिंह  
श्री निरीक्षक सफला (6) ने अराव पीकर का मालिये में  
मेरा हाथ पकड़ा और मेरी सायं बदल मीना की और  
आफिल में घुसकर मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया  
आपके पापना है कि मेरे साथ ही प्रकार की बदला  
द्वारा नहीं, इसलिए आप श्री जगधीर  
को विवेक कामवादी करें।

संज्ञा

19/5/16

करीबाबाय

करीबाबाय  
करीबाबाय  
करीबाबाय  
करीबाबाय

प्रसक्त

कल्याण अधिकारी (महिला),  
फरीदाबाद।

सेवा में,

उपश्रम आयुक्त  
फरीदाबाद।

कमाक 162 दिनांक 20/5/16

विषय:- श्रम निरीक्षक श्री जगवीर सिंह द्वारा बदतमीजी करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषय पर आपको सादर सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.5.2016 को समय 4.30 बजे सायं श्री जगवीर सिंह श्रम निरीक्षक सर्कल - 6 ने शराब पीकर अश्वोहस्ताक्षरी के कार्यालय में ठेका आधार पर कार्यरत लिपिक श्रीमती चन्द्रकांता के साथ बदतमीजी की। अतः आप से अनुरोध है कि श्री जगवीर सिंह श्रम निरीक्षक के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की बदतमीजी दुबारा न हो। श्रीमती चन्द्रकांता द्वारा दी गई शिकायत की प्रति आपको सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

सलंगन/उपरोक्त

  
कल्याण अधिकारी (महिला)  
फरीदाबाद

  
20/5



## जांच रिपोर्ट

उप श्रम आयुक्त, फरीदाबाद के कार्यालय के पत्र क्रमांक 3679 दिनांक 23.5.2016 के आदेशानुसार श्रीमति चन्द्र कान्ता, लिपिका (ठेका मै0 नरवाल सुपर सिक्योरिटी, पानीपत के माध्यम द्वारा कार्यरत) कार्यालय कल्याण अधिकारी ( महिला) फरीदाबाद की शिकायत दिनांक 18.5.2016 पर जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें श्री विनोद कुमार दहिया, सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल-1, फरीदाबाद श्रीमति शशि बाला, कल्याण अधिकारी ( महिला) फरीदाबाद व श्रीमति कमलेश रानी, श्रम निरीक्षक, कार्यालय उपश्रम आयुक्त, फरीदाबाद नियुक्त किये गये।

जांच में उप श्रम आयुक्त, फरीदाबाद के उक्त पत्र के साथ एक शिकायत दिनांक 18.5.2016 जो कि श्रीमति चन्द्र कान्ता, लिपिका, कार्यालय कल्याण अधिकारी ( महिला) फरीदाबाद ने कल्याण अधिकारी ( महिला) फरीदाबाद को दी और उन्होंने पत्र क्रमांक 162 दिनांक 20.5.2016 के माध्यम से उपश्रम आयुक्त, फरीदाबाद को प्रेषित की गई। पीडिता की शिकायत दिनांक 18.5.2016 में आरोप है कि श्री जगवीर सिंह, श्रम निरीक्षक, सर्कल-4 फरीदाबाद द्वारा बदतमीजी करने वाले लिखा है। "कर्मचारी ने शराब पीकर कार्यालय में उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ बदतमीजी की और आफिस में धुसकर रास्ता रोकने का प्रयास किया"


आरोपों की जांच के लिये आज दिनांक 25.5.2016 को शिकायत से सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों के ब्यान जांच कमेटी द्वारा लिये गये जो कि साथ पेज न 1 से 5 तक सलग्न है।

ब्यानों के आधार पर जांच कमेटी ने पाया कि श्रीमति चन्द्र कान्ता, लिपिका, द्वारा जो शिकायत दी गई और उसमें दर्शाये गये आरोप ठीक व सही पाये जाते हैं जिसके आरोपों की पुष्टि पीडिता कर्मचारी श्रीमति चन्द्र कान्ता, लिपिका ने स्वयं की है श्री धर्मवीर सिंह श्रम निरीक्षक सर्कल-4 फरीदाबाद व श्रीमति शशि बाला कल्याण अधिकारी ( महिला)


6/5/16  
25/5/16

फरीदाबाद में भी घटना का होना बताया है। श्री जगदीर सिंह, श्रम निरीक्षक सर्कल-1  
फरीदाबाद कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल-2 फरीदाबाद के विरुद्ध अनैतिक अपकृत्य  
(Immoral Trapitute /behaviour) का आचरण है जो कि महिला कर्मचारी के मान-साम्मान  
को ठेस पहुंचाता है व Sexual Harrasment के तहत प्रशासनिक कार्यवाही की जानी बचती  
है। यह घटना सरकारी कार्यालय में घटित होने के कारण सरकार की छवि भी धूमिल हुई है

अत रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

  
(विनोद कुमार दहिया)  
सहायक श्रम आयुक्त  
सर्कल-1 फरीदाबाद

  
(शशि बाला)  
कल्याण अधिकारी ( महिला )  
फरीदाबाद

  
( कमलेश कौरी )  
श्रम निरीक्षक कार्यालय  
उपश्रम आयुक्त, फरीदाबाद

पंजीकरण

व्यक्तिगत जानकारी ( महिला )  
 पंजीकरण का दिनांक 18/7/2016 का हुए कार्य के  
 दिनांक 19/5/2016 का श्री जी सि. जगदीश सिंह,  
 Labour Inspector. एच.सी.-6, Faridabad शरण प्रीति  
 कॉलेज में कार्य के लिए पत्रों को भेजे गए  
 कलेक्टर जी. सी. ए. फारिदाबाद में कार्य के लिए  
 प्रेषित हो रहे हैं, ~~क~~ इस प्रक्रिया को  
 वापिस लेती हैं।

जो कार्यवाही इस दिनांक पर पूरे हुए।

10

1) क्या प्रक्रिया पूरी की गई है।

30

नहीं द्वारा की गई प्रक्रिया सही है।

10

2) क्या प्रक्रिया में जो सुझाव दिए गए हैं  
क्या सही है।

30

प्रक्रिया में सुझाव दिए गए सुझाव सही हैं।

10

3) यदि यह धरती धरती है तो क्या कार्य  
है।

30

जो धरती धरती वह कार्य के लिए कार्यवाही  
करने के लिए है। और बाहर की।

Handwritten signature/initials

Kamlesh Kant

1. आपका विभाजन को वापस लेना चाहते हैं  
 और रिप्ले करके से वापस लेना चाहते हैं  
 मैं इस तरह पर विभाजन में आविवाही नहीं  
 हैं वापिस नहीं पाएगी है।  
 जब आपका लोक जो उदर प्रीती की  
 गई तो क्या किताब का कोई आविवाही ?  
 आविवाही उस समय मैजुद का यदि  
 विभाजन लाल है।

2. मैं अपने आविवाही में कामे ली थी  
 उस समय आविवाही में कोई नहीं था।  
 मेरी लाल जब देखानी हुई मैं  
 उठकर वहाँ से चली गई और सब तिरिसे  
 के आविवाही में गई। वहाँ पर उपस्थित  
 Mr. D.S Rathur उठा और मेरे अपने से  
 Mr. Jagdish को उठाया और मैं मैजुद  
 W.O.(W) के अन्दर में चली गई।  
 मैं उपरोक्त सभी उतर व लाल अपने  
 होश ह्रास में दे रही हूँ।

12/11/2019  
 15/11/2019

Handwritten signature  
 W.O.(W)  
 Computer Room  
 11/11

Handwritten signature  
 11/11/19  
 Handwritten text: Handwritten name and date

... ..  
 ... ..  
 ... ..

ज्यात किना कि पुणे भाय वरुं हे दि मीमि  
 यदुभावा दिनाम 18/5/2016 या वरुं ने आर  
 कोट श्री अजगवीर सिंह जी अरुतनीगी ये  
 वरुं ने बात सी हे कोट Sh D.S. Rathel  
 उठवर वाता के वरुं ने गिए कोर उठे  
 अठर दिमा ।

~~...~~  
 25/5/16  
 Sire Bhagwan

...

ज्यात श्री अजगवीर सिंह राठी, मध निरीसक, लमेल - 8, मरीवाकाद  
 वामनीनाम लमेलक मध आधुकर, लमेल - 3, मरीवाकाद

ज्यात किना कि म आपनी सीर पर वाकिरला म। पुणे  
 मोला यादव हे वतामा कि मेडम पुला रही है कोर  
 म उठवर गमा ती उठेते वतामा कि Sant Chandar  
 kanta वर रही हे कि Sh. Jagbir ही उठेते  
 अरुं म वराक पीकर गमा हे। कोर म यदुभावा  
 वर वरुं ने मरुत के वरुं उठेते उठेते  
 अठर सीर पर का गमा म मरुत आपनी सीर

... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..



